



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02112020-222891
CG-DL-W-02112020-222891

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40]	नई दिल्ली, अक्तूबर 25—अक्तूबर 31, 2020, शनिवार/आश्विन 3—कार्तिक 9, 1942
No. 40]	NEW DELHI, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2020, SATURDAY/ASVINA 3—KARTIKA 9, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2020

का.आ. 973.—भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देवाशीष पण्डा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग और श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के स्थान पर श्री पंकज जैन, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग और श्री राजीव रंजन, अपर सचिव, व्यय विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक निगम में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 14/3/2003-बीमा-I]

अंशुमन शर्मा, निदेशक (बीमा)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**New Delhi, the 21st October, 2020

S.O. 973.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Sh. Pankaj Jain, Additional Secretary, Department of Financial Services (DFS) and Sh. Rajeev Ranjan, Additional Secretary, Department of Expenditure as a member of the Corporation vice Sh. Debasish Panda, Secretary, DFS and Sh. Rajesh Verma, Secretary, Ministry of Corporate Affairs with immediate effect and until further orders.

[F. No. 14/3/2003-Ins.I]

ANSHUMAN SHARMA, Director (Insurance)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 974.—केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, नई दिल्ली को, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 13-05/2020-हिंदी/403-29]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agricultural Research and Education)**

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 974.—In pursuance of sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, Department of Agricultural Research & Education hereby notifies the Agricultural Scientists Recruitment Board, New Delhi where more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. 13-05/2020-Hindi/403-29]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)**

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

का.आ. 975.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुसरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद, तेलंगाना को, ऐसे कार्यालय के रूप में, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-11014/9/2012- रा.भा.]

अंजू भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 13th October, 2020

S.O. 975.—In pursuance of bye-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (For administrative purpose of the Union), the central government notifies the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy & New Materials, Hyderabad, Telangana under the Department of Science & Technology as an office whose more than 80 percent of officers/officials have attained the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11014/9/2012-O.L.]

ANJU BHALLA, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 976.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारके अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का. आ. 1740 दिनांक 19 सितम्बर 2019 की अधिसूचना के संशोधन में उक्त अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंद्रा-दिल्ली पाइपलाइन, बहादुरगढ़-टिकरीकलान पाइपलाइन, रमनमंडी-बहादुरगढ़ पाइपलाइन और रेवारी-कानपुर पाइपलाइन परियोजना के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए श्री कनब लाकरा तहसीलदार, बहादुरगढ़, हरियाणा सरकार को प्राधिकृत करती है। यह अधिसूचना की दिनांक से लागू है।

[फा. स. आर-11025(15)/5/2019-ओआर-1/ई-30377]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 976.—In pursuance of clause (a) Section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in modification of Notification of the Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1740 dated the 19th September, 2019, the Central Government hereby authorizes Shri Kanab Lakra, Tehsildar, Bahadurgarh, Government of Haryana to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Mundra Delhi Pipeline, Bahadurgarh Tikrikalan Pipeline, Ramanmandi Bahadurgarh Pipeline and Rewari Kanpur Pipeline under the said Act, within the territory of Haryana State. The Notification is applicable from the date of this notification.

[F. No. R-11025(15)/5/2019-OR-I/E-30377]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 977.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का. आ. 686 दिनांक 3 अगस्त 2020, की अधिसूचना के संशोधन में उक्त

अधिनियम के अधीन राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन, आवा-सालावास पाइपलाइन और रेवाड़ी-कानपुर पाइपलाइन के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी, दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर प्रोजेक्ट, जयपुर को प्राधिकृत करती है। यह अधिसूचना की तारीख से लागू होता है।

[फा. स. आर-11025(15)/5/2019-ओआर-I/ई-30377]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 977.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in modification of Notification of the Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 686 dated the 3rd August 2020, the Central Government hereby authorizes Land Acquisition officer, Delhi Mumbai Industrial Corridor Project, Jaipur to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Mundra Delhi Pipeline, Awa Salawas Pipeline and Rewari Kanpur Pipeline under the said Act, within the territory of Rajasthan State. This is applicable from the date of notification.

[F. No. R-11025(15)/5/2019-OR-I/E-30377]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 978.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का. आ. 102 दिनांक 17 जनवरी 2020, की अधिसूचना के संशोधन में उक्त अधिनियम के अधीन कर्नाटक राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मंगलूर-हासन-मैसूर-सोलूर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए श्रीमती आर. मेघना के. ए. एस (कर्नाटक सरकार) को प्राधिकृत करती है। यह अधिसूचना की तारीख से लागू होता है।

[फा. स. आर-11025(15)/5/2019-ओआर-I/ई-30377]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 978.— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in modification of Notification of the Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 102 dated the 17th January 2020, the Central Government hereby authorizes Mrs. R. Meghana K A S, Government of Karnataka to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Mangalore Hassan Mysore Solur LPG Pipeline under the said Act, within the territory of Karnataka State. This is applicable from the date of notification.

[F. No. R-11025(15)/5/2019-OR-I/E-30377]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.